

कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, (आई.सी.डी.एस.)-मऊ।

पत्रांक

/जि0का0अधि0/विज्ञप्ति/2025-26/दिनांक-

13/11/2025

विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रमुख सचिव, बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार उ0प्र0 लखनऊ के शासनादेश संख्या-2025/3313/58-1-2025(1917687) दिनांक 17 सितम्बर 2025 में वर्णित व्यवस्थानुसार जनपद मऊ के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी सहायिका के मानदेय आधारित संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के अन्तर्गत निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्पाहार उ0प्र0 लखनऊ चयन हेतु जनपद मऊ के शहरी/ग्रामीण परिक्षेत्रों में संचालित बाल विकास परियोजनाओं में आंगनबाड़ी सहायिकाओं की मानदेय आधारित संविदा के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सीधी भर्ती प्रक्रिया के तहत विकसित विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> द्वारा आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। आंगनबाड़ी सहायिकाओं के रिक्त पदों का परियोजनावार, आरक्षण का संख्यात्मक विवरण निम्नवत् है:—

आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त पदों का बाल विकास परियोजनावार आरक्षण का विवरण

| क्र.स. | परियोजना का नाम | ग्रामीण/शहरी | कुल रिक्त पदों की संख्या | रिक्तियों के आरक्षण का विवरण | | | |
|--------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------------------|---------------|------------------|-----------|
| | | | | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | अनारक्षित |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | बडरांव | ग्रामीण | 50 | 02 | 10 | 13 | 25 |
| 2 | दोहरीघाट | ग्रामीण | 54 | 03 | 08 | 18 | 25 |
| 3 | फतेहपुर मण्डांव | ग्रामीण | 100 | 02 | 19 | 25 | 54 |
| 4 | घोसी | ग्रामीण | 73 | 03 | 15 | 20 | 35 |
| 5 | कोपागंज | ग्रामीण | 91 | 02 | 19 | 22 | 48 |
| 6 | शहर (मऊ सिटी) | शहरी | 80 | 06 | 06 | 22 | 46 |
| 7 | मु0बाद गोहना | ग्रामीण | 156 | 06 | 30 | 45 | 75 |
| 8 | परदहा | ग्रामीण | 127 | 01 | 27 | 33 | 66 |
| 9 | रानीपुर | ग्रामीण | 187 | 05 | 38 | 51 | 93 |
| 10 | रतनपुरा | ग्रामीण | 126 | 02 | 26 | 34 | 64 |
| योग:- | | | 1044 | 32 | 198 | 283 | 531 |

उपरोक्त पदों का ग्रामसभा/वार्डवार विवरण एवं आरक्षण सहित अर्हता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्ट्रेट, विकास भवन, समस्त तहसील एवं समस्त विकास खण्ड, तथा समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया गया है, साथ ही विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर अपलोड है।

विज्ञापित आंगनबाड़ी सहायिका के पदों की अर्हता एवं आवेदन पत्र भरने हेतु विशेष निर्देश:—

- उपरोक्त विज्ञापित पदों हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के रिक्त पदों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमिडिएट या उसके समकक्ष होगी, अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी।
- आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। दिनांक 01.07.2025 को आयु 18 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक न हो। आयु के सम्बन्ध में हाई स्कूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि मान्य होगी।
- चयन में उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला/विधिका तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला को वरीयता दी जायेगी।
- विधवा महिलाओं हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण-पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। तलाकशुदा/परित्यक्ता के सम्बन्ध में मा0 सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश ही मान्य होंगे।
- विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं पात्र होंगी।
- गरीबी रेखा से नीचे की विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिलाएं/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से ऊपर की विधवा महिला/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं पात्र होंगी।
- उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्रामसभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं पात्र होंगी।

9. निवास एवं जाति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसील से आनलाईन डिजिटल हस्ताक्षर युक्त निवास व जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
10. आय प्रमाण प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में समाज कल्याण अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-22/2015/2123 /26-2-2015 दिनांक 14 सितम्बर 2015 द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित केन्द्रों पर आवेदन हेतु गरीबी रेखा से नीचे का आय प्रमाण पत्र रू0-46080.00 तक ही मान्य है तथा शहरी क्षेत्र में स्थित आंगनवाडी केन्द्र पर आवेदन हेतु गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी का आय प्रमाण पत्र रू0-56460.00 तक ही मान्य है। उपरोक्त से अधिक आय प्रमाण पत्र वाले अभ्यर्थी गरीबी रेखा के ऊपर की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। आय प्रमाण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के राजस्व अनुभाग-9 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या 3959/1-9-11-रा0-9 दिनांक 30.09.2011 के क्रम में सक्षम स्तर से निर्गत आय प्रमाण ही मान्य होंगे। जिनका आनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
11. आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध फार्मेट पर भरी जाने वाली सूचनाओं का परीक्षण करते हुए सावधानीपूर्वक भरे जाएं। उक्त विभागीय वेब पोर्टल पर उपलब्ध भर्ती सम्बन्धित शासनादेश का अवलोकन करने के बाद आवेदन करें। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जाए, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। पोर्टल पर त्रुटिपूर्ण भरे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। जिसके लिए सम्बन्धित अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगी।
12. ऑफलाइन आवेदन पत्र किसी भी दशा में मान्य/स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. उपरोक्त विज्ञापित पदों की अर्हता एवं आवेदन करने की प्रक्रिया सहित विस्तृत प्रपत्र एवं सूचना तथा शासनादेश विभागीय वेबसाइट <http://upanganwadibharti.in> पर उपलब्ध है साथ ही अधिक जानकारी हेतु विकास खण्ड के बाल विकास परियोजना कार्यालय या विकास भवन में जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विकास विभाग) कार्यालय कक्ष संख्या-10 से कार्यालय दिवस में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
14. दिनांक 14.11.2025 से ऑनलाइन पोर्टल पर रिक्त पदों वाले केन्द्र जिन पर आवेदन किया जाना है, उक्त ग्राम पंचायत/वार्ड प्रदर्शित होने लगेंगे। उक्त तिथि से अभ्यर्थी अपना आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अन्तिम तिथि दिनांक 04 दिसम्बर 2025 है।

नोट:- रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है, उपरोक्त चयन के सम्बन्ध में उच्च स्तर से निर्गत निर्देशों /चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय अन्तिम रूप से मान्य होंगे।

(अजीत कुमार सिंह)
जिला कार्यक्रम अधिकारी
मऊ।

पृष्ठांकन संख्या सी-2172 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्ठाहार उ0प्र0, लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मऊ।
4. समस्त उपजिलाधिकारी, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित की प्रति तहसील कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
5. जिला सूचना अधिकारी मऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित 02 दैनिक समाचार पत्रों (01 प्रदेश स्तरीय तथा 01 स्थानीय) में न्यूनतम शासकीय दर पर प्रकाशित कराते हुए प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, मऊ को इस आशय से प्रेषित कि विज्ञापित की प्रति विकास खण्ड कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कराने का कष्ट करें।
7. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी जनपद मऊ को इस निर्देश के साथ कि विज्ञापित की प्रति परियोजना कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें, साथ ही इसकी सूचना का सम्बन्धित ग्राम पंचायतों/वार्डों में नियमानुसार अपने स्तर से व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए तहसील एवं विकास खण्ड में विज्ञापित की प्रति चस्पा कराना सुनिश्चित करायें।
8. श्री अभिषेक सिसौदिया, प्र0स10/पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि विज्ञापित की प्रति कलेक्ट्रेट एवं विकास भवन में स्थित जिला कार्यक्रम कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा कराना सुनिश्चित करें।
9. कार्यालय प्रति।

13/11/25
जिला कार्यक्रम अधिकारी
मऊ।